

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ. 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2015/7941-8000

जयपुर, दिनांक 12-7-2016

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (1) (4) आप्रसआ/ सामान्य/ 2015/ 14226-66 दिनांक 19.12.2015 से राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 19 जिलों के 14,487 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2016 तक प्रभावी है।

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.6.2016 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना की अवधि को 15 जुलाई, 2016 से बढ़ाकर दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक किया जाता है। उक्त बढ़ाई हुए अवधि में उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान अभावग्रस्त घोषित प्रभावित ग्रामों में 31 अक्टूबर, 2016 तक लागू रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)/जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान।
12. जिला कलेक्टर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाडमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, राज0।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
14. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
15. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
16. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


उप. शासन सचिव